"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2 22- छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 241] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 13 जून 2013—ज्येष्ठ 23, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 जून 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-5/2013/1-7.—जिला बस्तर के दरभा थानांतर्गत जीरमघाटी क्षेत्र में दिनांक 25-05-2013 को घटित घटना के संबंध में माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रशांत कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में गठित न्यायिक जांच आयोग द्वारा जारी अधिसूचना [अंतर्गत नियम 5(2) (ख) कमीशन ऑफ इन्क्वायरी (केन्द्रीय) नियम, 1972] एवं प्रक्रिया विनियम तथा शपथ-पत्र का प्रारूप, शपथ-पत्र और सत्यापन की अधिसूचना एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जाकनारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. चुरेन्द्र, उप-सचिव.

जीरम घाटी घटना की जांच हेतु गठित विशेष न्यायिक जांच आयोग, मुख्यालय जगदलपुर

(जीरम घाटी में घटित घटना के जांच हेतु गठित विशेष न्यायिक जांच आयोग)

अधिसूचना

[अंतर्गत नियम 5(2) (ख) कमीशन ऑफ इन्क्वायरी (केन्द्रीय) नियम, 1972]

सर्वसाधारण को सूचना

छ.ग. शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 3-5/2013/1 7 (पार्ट 1), रायपुर दिनांक 28 05 2013 द्वारा थाना दरभा अन्तर्गत जीरम घाटी क्षेत्र में दिनांक 25 05 2013 को नक्सलियों द्वारा कारित हिंसात्मक घटना की विशेष जांच हेतु माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा, न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की अध्यक्षता में विशेष न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है, जिसके जांच के विषय निम्न हैं :—

1. जीरमघाटी में दिनांक 25 05 2013 को किन परिस्थितियों में घटना घटित हुई ?

2. क्या घटना को घटित होने से बचाया जा सकता था ?

3. क्या सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त थी अथवा सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की चूक हुई ?

4. क्या सुरक्षा के लिये सभी निर्धारित प्रक्रियाओं, आवश्यक व्यवस्थाओं का पालन सुरक्षा तंत्रों द्वारा किया गया था ?

5. क्या सुरक्षा के लिये सभी निर्धारित व्यवस्थाओं एवं निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन रैली के आयोजकों द्वारा किया गया था ? और यदि हां तो [illegible] था ? और यदि नहीं तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

6. क्या राज्य के पुलिस बलों एवं अन्य सशस्त्र बलों के बीच समुचित समन्वय रहा ?

7. घटना के पूर्व, घटना के दौरान या घटना के उपरांत ऐसे अन्य मुद्दे जो घटना से संबंधित हो, उस बाबत तथ्यात्मक प्रतिवेदन.

8. भविष्य में इस प्रकार की घटना से बचने के लिये सुरक्षा एवं प्रशासकीय कदम उठाये जाने के संबंध में सुझाव तथा उपाय.

9. अन्य ऐसे महत्वपूर्ण बिन्दु जो घटना से संबंधित हो.

सामान्य प्रशासन विभाग, छ.ग. शासन, रायपुर के पत्र क्रमांक एफ-3-5/2013/1-7, रायपुर, दिनांक 07-06-2013 द्वारा आयोग का मुख्यालय, संभागीय आयुक्त कार्यालय, बस्तर (जगदलपुर) घोषित किया गया है.

अत: एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जो भी व्यक्ति, समूह या संस्था उपरोक्त घटना के संबंध में जानकारी रखते हैं, वे कार्यालयीन अवधि में आयोग कार्यालय, जगदलपुर में जानकारी लिखित में, शपथ-पत्र में अपने पहचान से संबंधित समग्र दस्तावेज जैसे मतदाता सूची, निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, गांव के सरपंच अथवा किसी शासकीय संस्था द्वारा प्रदत्त पहचान प्रमाण पत्र, कृषक होने की स्थिति में खाते की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रतियां सहित इस अधिसूचना के प्रकाशन तिथि के 15 दिनों के भीतर हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत करें.

यदि कोई व्यक्ति, समूह या संस्था घटना से संबंधित प्रत्यक्ष जानकारी का साक्ष्य, आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने के इच्छुक हैं तो वे विषय वस्तु एवं पूर्ण पते सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपना पंजीयन, कार्यालयीन अवधि में आयोग के कार्यालय में करा सकते हैं, जांच आयोग द्वारा प्रयोग में लायी जाने वाली प्रक्रिया विनियम अलग से अधिसूचित की जा रही है.

सुविधा हेतु अपेक्षित शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न है.

आज दिनांक 13 06 2013 को मेरे हस्ताक्षर से जारी.

शिवमंगल पाण्डेय,
सचिव.

शपथ-पत्र का प्रारूप

जीरम घाटी घटना की जांच हेतु गठित विशेष न्यायिक जांच आयोग, मुख्यालय जगदलपुर के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु

समक्ष पब्लिक नोटरी/न्यायिक मजिस्ट्रेट/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट स्थान ....

शपथकर्ता का विवरण — ....

नाम — ....

पिता/पति का नाम — ....

उम्र — ....

व्यवसाय — ....

निवास स्थान (पूर्ण पता) — ....

....

थाना क्षेत्र — ....

तहसील क्षेत्र — ....

जिला — ....

राज्य — ....

शपथ-पत्र

मैं .... पिता/पति .... उम्र .... वर्ष, व्यवसाय .... निवासी .... शपथपूर्वक निम्नांकित कथन करता/करती हूं :—

1. यह कि मैं उपरोक्त शपथकर्ता दिनांक .... को घटना के समय .... स्थान पर स्वयं उपस्थित था/थी एवं मेरे समक्ष जांच बिंदु क्रमांक .... से संबंधित निम्न बातें हुई :—

जांच बिंदु क्रमांक 1 ....

जांच बिंदु क्रमांक 2 ....

जांच बिंदु क्रमांक 3 ....

जांच बिंदु क्रमांक 4 ....

जांच बिंदु क्रमांक 5 ....

जांच बिंदु क्रमांक 6 ....

जांच बिंदु क्रमांक 7 ....

जांच बिंदु क्रमांक 8 ....

जांच बिंदु क्रमांक 9 ....

घटना हुई, जिसका/जिसकी मैं स्वयं चक्षुदर्शी हूं.

या

मुझे इस घटना के संबंध में जिन बिंदुओं पर जांच होनी है, उन बिंदुओं के संबंध में निम्न जानकारी—

जांच बिंदु क्रमांक 1 ....

जांच बिंदु क्रमांक 2 ....

जांच बिंदु क्रमांक 3 ....

जांच बिंदु क्रमांक 4 ....

जांच बिंदु क्रमांक 5 ....

जांच बिंदु क्रमांक 6 ....

जांच बिंदु क्रमांक 7 ....

जांच बिंदु क्रमांक 8 ....

जांच बिंदु क्रमांक 9 ....

.... स्रोत से प्राप्त हुई है, जिस पर मैं विश्वास करता हूं/करती हूं, जिसे मैं सत्य मानता हूं/मानती हूं.

2. मैं अपने द्वारा प्रदत्त जानकारी के संबंध में दस्तावेजों की मूल प्रति/अभिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर रहा हूं/रही हूं एवं आयोग द्वारा आहूत किये जाने पर अथवा साक्ष्य के समय दस्तावेजों की मूल प्रति प्रस्तुत करूंगा/करूंगी.

शपथकर्ता/शपथकर्ती

सत्यापन

मैं .... शपथपूर्वक निम्न सत्यापन करता हूं/करती हूं कि कंडिका 1 से .... की जानकारी मेरे व्यक्तिगत ज्ञान से एवं कंडिका .... से .... की जानकारी .... स्रोत से प्राप्त ज्ञान, जिसे मैं सत्य मानता हूं/मानती हूं और विश्वास करता हूं/करती हूं, से सत्य है.

अतः आज दिनांक .... को स्थान .... में सत्यापित कर अपना हस्ताक्षर किया/की/अंगूठा निशानी लगाया/लगायी.

शपथकर्ता/शपथकर्ती

स्थान :
दिनांक :

3. **नोट** —

1. शपथकर्ता से अपेक्षा है कि वे समस्त जानकारी शपथ पत्र द्वारा ही प्रदान करें.
2. शपथ पत्र में जो जानकारी शपथकर्ता के स्वयं के व्यक्तिगत ज्ञान में है और जो अन्य स्रोत से प्राप्त ज्ञान में है, उन्हें पूर्णतः स्पष्ट लिखते हुए जानकारी दें.
3. अपने पहचान के लिए शपथकर्ता, शपथपत्र पर अद्यतन स्वयं के फोटो चिपकाकर सक्षम अधिकारी/प्राधिकारी/पब्लिक नोटरी/न्यायिक मजिस्ट्रेट/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से प्रमाणित करावें.
4. अपने पहचान स्थापित करने के लिए शपथकर्ता निम्न दस्तावेज :—
   (i) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त मतदाता परिचय पत्र,
   (ii) राशन कार्ड,
   (iii) स्थानीय मतदाता सूची, जिसमें उसका नाम उल्लेखित हो,
   (iv) स्थानीय कृषक होने से संबंधित खाता की स्वअभिप्रमाणित/पब्लिक नोटरी से अभिप्रमाणित छाया प्रति एवं
   (v) सरपंच द्वारा प्रदत्त पहचान प्रमाण पत्र
   (vi) किसी शासकीय संस्था द्वारा प्रदत्त पहचान पत्र, संलग्न करें.
5. शपथ दिलाने वाले अधिकारी अपने सील, शपथ की तिथि, अभिप्रमाणित करने वाले साक्षी का पूर्ण पता, शपथ पत्र निष्पादन का स्थान और तिथि स्पष्ट लिखें, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि किस विशेष प्राधिकारी के समक्ष, किस शपथकर्ता द्वारा किसकी उपस्थिति में, किस दिन, किस स्थान पर शपथ लिया गया है.

जीरम घाटी घटना की जांच हेतु गठित विशेष न्यायिक जांच आयोग, मुख्यालय जगदलपुर

(जीरम घाटी में घटित घटना के जांच हेतु गठित विशेष न्यायिक जांच आयोग)

प्रक्रिया विनियम

आयोग के अध्यक्ष माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा, न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा अनुमोदित, छ.ग. राज्य शासन द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ 3-5/2013/1-7 (पार्ट-1), रायपुर, दिनांक 28-05-2013 द्वारा थाना दरभा अन्तर्गत जीरम घाटी क्षेत्र में दिनांक 25-05-2013 को नक्सलियों द्वारा कारित हिंसात्मक घटना की विशेष जांच हेतु आयोग द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले प्रक्रिया विनियम निम्नानुसार होंगे :—

1. आयोग की कार्यवाही सारभूत रूप से हिन्दी में होगी, पर कार्यवाही का कोई अंश आयोग के अध्यक्ष के आदेश/निर्देश से अंग्रेजी में भी किये जा सकेंगे.

2. आयोग का मुख्यालय संभागीय आयुक्त कार्यालय, बस्तर (जगदलपुर) है.

3. आयोग का कार्यालय प्रतिदिन राज्य शासन द्वारा घोषित अवकाश के सिवाय सभी कार्य दिवसों में प्रात: 10.30 बजे से 1.30 बजे एवं 2.00 से 5.00 बजे तक खुला रहेगा. आवश्यकता पड़ने पर अवकाश दिवसों में भी आयोग का कार्यालय खुला रह सकेगा.

4. सामान्यत: आयोग अपनी बैठकें जगदलपुर मुख्यालय स्थित कार्यालय में करेगा, परंतु आवश्यकतानुसार बैठकें राज्य के अन्य किसी स्थान पर भी समय, तिथि और स्थान की पूर्व अधिसूचना जारी कर, की जा सकेगी.

5. चूंकि जांच का विषय लोक महत्व का है, अत: आयोग की कार्यवाही जन सामान्य के लिये खुली रहेगी, जब तक सुरक्षा और गोपनीयता की दृष्टि से प्रक्रिया में कार्यवाही के किसी अंश को आयोग के अध्यक्ष "कैमरा प्रोसेसिंग" में करना उचित न समझे.

6. आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्र अथवा आयोग के निर्देश/मांग पर प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्र, विधि द्वारा शपथ दिलाने हेतु प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष किये गये शपथ पर तैयार, शपथ पत्र ही आयोग में मान्य होंगे. शपथ पत्र, समस्त जानकारी एवं दस्तोवजों की अपेक्षित प्रतियों सहित जानकारी, आयोग के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर सचिव/अतिरिक्त सचिव श्री एम. एस. रघुवंशी डिप्टी कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर बस्तर (जगदलपुर) अथवा आयोग के सचिव द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जा सकेंगे. प्रस्तुतकर्ता ऐसे शपथपत्रों एवं प्रपत्रों की पावती प्राप्त कर सकेंगे.

7. अपेक्षित जानकारी शपथ पत्र सहित पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित किये जा सकेंगे, पर पंजीकृत डाक से प्रस्तुत करने की दशा में प्रेषक का पूर्ण डाक पता लिफाफे में लिखा जाना आवश्यक होगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि शपथ पत्र एवं प्रपत्र किस व्यक्ति द्वारा प्रेषित किये गये हैं. अपूर्ण पते वाले डाक आयोग द्वारा अस्वीकार किये जा सकेंगे.

8. शपथ पत्र हिन्दी अथवा अंग्रेजी में हो सकते हैं. यदि शपथ पत्र किसी समूह या संस्था की ओर से दिया जा रहा है, तो संबंधित समूह या संस्था के सक्षम पदाधिकारी या कार्यकारिणी द्वारा जारी अधिकार पत्र संलग्न करना होगा.

9. प्रत्येक शपथ पत्र प्रथम व्यक्ति के नाम पर ही कंडिकाओं में क्रमवार विभक्त होंगे. प्रत्येक विषय से संबंधित प्रत्यक्ष जानकारी के तथ्य को अलग-अलग कंडिकाओं में लिखा जावेगा. शपथ पत्र में शपथकर्ता के द्वारा अपना पूर्ण वास्तविक और विस्तृत पता एवं व्यवसाय लिखा जाना आवश्यक होगा.

10. शपथ पत्र का कोई अंश, प्राप्त जानकारी पर आधारित होने की दशा में, जानकारी का पूर्ण स्रोत शपथ पत्र में ही लिखना आवश्यक होगा. शपथ पत्र में यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक होगा कि किन कंडिकाओं की जानकारी शपथकर्ता के स्वयं की है और किन कंडिकाओं की जानकारी उसे किन स्रोतों से कब प्राप्त हुई है, जिन पर वह विश्वास करता है या सत्य समझता है.

11. शपथ पत्र मूल प्रति एवं दो अतिरिक्त प्रति सहित प्रस्तुत किये जायेंगे, जिससे आवश्यकतानुसार शपथ-पत्र की प्रति विपक्ष अथवा किसी पक्ष को प्रदाय की जा सके.

12. शपथ पत्र के साथ विश्वास किये जाने वाले मूल दस्तावेज़ अथवा उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की जावेगी एवं मौखिक कथन के समय ऐसे शपथकर्ता को दस्तावेजों की मूल प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा. मूल प्रति प्रस्तुत न होने की दशा में आयोग ऐसे सत्यापित प्रति को साक्ष्य में अस्वीकार कर सकेगी. यदि दस्तावेज की मूल प्रति शपथकर्ता के अधिकार में न हो और किसी अन्य व्यक्ति अथवा कार्यालय के आधिपत्य में हो तो शपथकर्ता अपने शपथ पत्र में उस व्यक्ति का नाम और उसका पता/कार्यालय एवं अधिकारी का नाम/पते का उल्लेख करेगा, जिससे यह स्पष्ट हो कि वह दस्तावेज किस व्यक्ति या अधिकारी के नियंत्रण में है और किस हैसियत से है.

13. कमीशन ऑफ इंक्वायरी (केंद्रीय) नियम, 1972 के नियम 5 में जारी सूचना के प्रतिउत्तर में दिये गये कथनों की जांच पर आवश्यक पाये जाने पर आयोग ऐसे शपथ पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को साक्ष्य (परीक्षण, प्रतिपरीक्षण) हेतु प्रस्तुत होने का निर्देश दे सकेगा एंवं उसके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के प्रकाश में उसका परीक्षण, प्रतिपरीक्षण किया जा सकेगा.

14. साक्ष्य के क्रम में सर्वप्रथम नियम 5 (2) (ए एवं बी) के अंतर्गत प्राप्त कथनों के संबंध में साक्षियों का परीक्षण, प्रतिपरीक्षण किया जावेगा, ऐसे व्यक्तियों के परीक्षण, प्रतिपरीक्षण पश्चात् केंद्र शासन अथवा राज्य शासन के द्वारा प्रस्तुत व्यक्तियों के कथन अभिलिखित किये जा सकेंगे.

15. आयोग उन सभी व्यक्तियों, जिनके द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है और मौखिक कथन करने हेतु प्रस्तावित किया गया है, के कथन/परीक्षण के लिए बाध्य नहीं है एवं ऐसे व्यक्तियों को भी अपना परीक्षण कराने का कोई अधिकार नहीं होगा.

16. जिन साक्षियों का मौखिक साक्ष्य अभिलिखित किया जावेगा, उनके साक्ष्य अन्य पक्षकारों के प्रतिपरीक्षण के दायित्व के अधीन होंगे. अन्य पक्षकारों एवं व्यक्तियों को उनके प्रतिपरीक्षण की अनुमति आयोग द्वारा दी जा सकेगी.

17. आयोग स्वविवेकानुसार किसी व्यक्ति को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण हेतु आहूत करने से इंकार कर सकेगा या उन्हें आहूत करने के स्थान पर प्रश्नावली के माध्यम से शपथ पत्र पर परीक्षण हेतु अनुमति दे सकेगा.

18. आयोग किसी साक्षी को जिसका कथन अनावश्यक, असंगत, विलंब अथवा तंग करने के प्रयोजन से हो, अभिलिखित कराने से इंकार कर सकेगा.

19. आयोग स्वयं या किसी व्यक्ति अथवा पक्षकार के आवेदन पर पिटीशन, शपथ पत्र अथवा किसी दस्तावेज के अंश को काट या मिटा देगा या आयोग को प्रस्तुत कोई दस्तावेज लौटा देगा, जो कि आयोग के अनुसार असंगत, असंबद्ध, अनावश्यक, निरर्थक या बेवजह आक्रामक, फुहड़ या लोक निंदनीय हो.

20. पंजीयन विभाग से प्राप्त मूल पंजीकृत दस्तावेज मूल रूप में अथवा सत्य प्रतिलिपि नियमानुसार उनके निष्पादन के विषय में बिना किसी औपचारिक प्रमाण के ग्राह्य किये जा सकेंगे. इसी तरह शासकीय विभाग, विधिक, निकाय, राज्य शासन के अधीन तथा सहकारी संस्था से संबंधित शासकीय पंजी, जिसमें कार्यालयीन टीप, आदेश आदि शामिल है, बिना किसी औपचारिक प्रमाण के, यदि अन्यथा कोई रियायत हेतु वैध दावा न हो, ग्राह्य होगा, जब तक कि आयोग किसी विशिष्ट प्रकरण में उसे साक्ष्य अधिनियम के अनुसार किसी भी तरह प्रमाणित कराना न चाहे.

21. नियम 4(2) तथा (6) जांच आयोग नियम,1972 के अंतर्गत आयोग के सचिव/अतिरिक्त सचिव को समंस, सूचना पत्र आदि के हस्ताक्षर करने तथा कमीशन द्वारा जारी अन्य आदेशिकाओं पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया गया है.

22. आयोग प्रक्रिया विनियम में आवश्यकतानुसार परिवर्तन/संशोधन कर सकेगा और किसी अंश को हटा सकेगा.

शिवमंगल पाण्डेय,
सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.